

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1266 / 2013

संस्थित दिनांक—24.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—समलू पिता दयाराम यादव, उम्र—35 वर्ष, जाति अहीर,

सकिन कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—06 / 02 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—19.12.2013 को शाम के 5:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला संतराम मरार के मकान के सामने आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी कुंवरसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत कुंवरसिंह को लकड़ी से सिर के दाहिने तरफ मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—19.12.2013 को शाम करीब 5:30 बजे कुंवरसिंह अपने पिता राम करार के साथ संतराम मरार के घरके सामने चौराहा पर बैठा था, तभी वहां पर गांव का समलू अहीर गांव के जानवर लेकर आया और उसे देखकर मादरचोद की गंदी-गंदी गालियां देने लगा और कहने लगा मुझे फंसाते हो कहकर हाथ में रखी लाठी से उसे दाहिने तरफ सिर पर मारा जिससे फटकर खून निकलने लगा तब वहां से अपने घर चला गया। उसके आवाज देने पर उसकी घरवाली बुदबुदा बाई आई और उसे घर लेकर चले गई। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने अपनी पत्नी के साथ जाकर थाना बिरसा में आरोपी के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—169 / 13, धारा—294, 323 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त लकड़ी जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-19.12.2013 को शाम के 5:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला संतराम मरार के मकान के सामने आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी कुंवरसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, घटना, समय व स्थान पर आहत कुंवरसिंह को लकड़ी से सिर के दाहिने तरफ मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत कुंवरसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, घटना लगभग 7-8 माह पूर्व शाम के 6 बजे की है। घटना दिनांक को वह संतराम के घर के सामने चौराहा पर बैठा था, तभी वहां पर आरोपी समलू गाय लेकर जंगल की तरफ से आया और उसे लकड़ी से सिर पर मारा जिससे उसका सिर फूट गया था और खून निकलने लगा था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने चौकी सालेटेकरी में किया था जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था, जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था।

6- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ पूर्व से जमीन की मेढ़ को लेकर विवाद चला आ रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त रंजिश के कारण व आरोपी को झूठा फंसाने की धमकी देता है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह झूमा-झपटी में गिर गया था, इस कारण उसे चोट आई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य में कथन किया है। साक्षी का आरोपी से पूर्व रंजिश होने का तथ्य मात्र से उसके कथन पर अविश्वास किये जाने का आधार होना प्रकट नहीं होता है।

7- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी पलटू (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को ही जानता है। दोनों उसके गांव में ही रहते हैं। घटना पिछले साल की शाम 6-7 बजे की है। घटना दिनांक को जब वह घर से बैल बांधकर वापस आया तो उसने कुंवरसिंह के सिर से खून बहते हुए देखा था। जब उसने देखकर कुंवरसिंह से पूछा तो उसने आरोपी समलू के द्वारा मारना

बताया। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा। साक्षी ने अभियोजन मामले का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है, किन्तु साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप अपने न्यायालयीन कथन में घटना के तत्काल पश्चात् का वृत्तांत पेश कर आहत कुंवरसिंह के सिर से खून बहते हुए देखे जाने और उसके पूछने पर आरोपी द्वारा मारपीट करना बताया जाने का सुसंगत तथ्य पेश किया है। साक्षी के कथन से आहत कुंवरसिंह को घटना के समय सिर पर चोट कारित होने की पुष्टि होती है।

8— चिंताराम पांचे (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी और आहत को जानता है। घटना आज से लगभग एक साल पहले की शाम के लगभग 6.30 बजे की है। घटना दिनांक को समलू गाय खेद कर ला रहा था। कुंवरसिंह ने चिल्लाया तो उसने जाकर देखा कुंवरसिंह के माथे से खून आ रहा था। कुंवरसिंह को किसके द्वारा मारा गया, उसने नहीं देखा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय आरोपी ने कुंवरसिंह को गंदी-गंदी गाली देते हुए लकड़ी से मारपीट की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना होते हुए नहीं देखा, इस कारण वह नहीं बता सकता कि कुंवरसिंह को कैसे चोट आई। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, किन्तु साक्षी ने घटना के समय आहत कुंवरसिंह के माथे से खून निकलते हुए देखे जाने के कथन किया होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आहत कुंवरसिंह को घटना के समय उपहति कारित हुई थी।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी विजय कुमार पाटिल (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.12.2013 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/13, धारा-294,323 भा.द.वि. प्रदर्श पी-1 सहायक उपनिरीक्षक मनोज मांगरे के द्वारा लेख की गई है, जिस पर मनोज मांगरे के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह भली-भाँति पहचानता है, उसके साथ लगभग 6 माह तक उसने अधिनस्थ के रूप में कार्य किया है। अपराध क्रमांक-169/13, धारा-294,323 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 20.12.13 को घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 कुंवरसिंह की निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने साक्षी पलटू चिंताराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपी समलू से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार एक लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में स्वयं आहत कुंवरसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा लिखाई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व पुलिस कथन के अनुरूप कथन पेश किया है। साक्षी के कथन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आरोपी ने उसे लकड़ी से सिर पर मारकर उपहति कारित की थी। आहत कुंवरसिंह को घटना के समय सिर पर खून निकलकर चोट कारित होने की पुष्टि अन्य साक्षीगण पलटू (अ.सा.2) एवं चिताराम (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में की है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि घटना के समय आहत कुंवरसिंह को आरोपी के द्वारा लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की गई थी।

11— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्य व परिस्थिति से स्पष्ट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत कुंवरसिंह को लकड़ी से प्रहार करते समय उसके पास उक्त प्रयुक्त साधन से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

12— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी कुंवरसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण किया। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि आरोपी ने फरियादी कुंवरसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने आहत कुंवरसिंह को लकड़ी से सिर में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने फरियादी कुंवरसिंह लोकस्थान में अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध से दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

15— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह

प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

16— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले में आरोपी और फरियादी के आपसी विवाद को लेकर घटना के समय आरोपी ने आहत कुंवरसिंह को मारपीट कर साधारण उपहति पहुंचायी है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

17— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अनिवार्य)